

भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 656

9 दिसम्बर, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन

656. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान आयुर्वेदिक औषधियों के विनिर्माण के लिए जारी किए गए अनुदानों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) गत तीन वर्षों के दौरान अनुदानों के अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) ऐसे कितने प्रस्ताव लंबित हैं; और
- (घ) लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से उनकी राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कार्यकलापों के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों (एएसयू एंड एच औषधियों) के गुणवत्ता नियंत्रण घटक के अंतर्गत 1563.308 लाख रुपये की राशि अनुमोदित की गई है।

आयुष मंत्रालय ने पांच वर्षों के लिए 122.00 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय आवंटन के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना-आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) शुरू की है। आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) योजना के घटक निम्नानुसार हैं;

क. उच्च मानक हासिल करने के लिए आयुष फार्मेशियों और दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण और उन्नयन।

ख. भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी सहित एएसयू एंड एच दवाओं की भेषजसतर्कता।

ग. आयुष औषधियों के लिए तकनीकी मानव संसाधन और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों सहित केंद्रीय और राज्य नियामक ढांचे का सुदृढीकरण।

घ. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसीआई) और अन्य संगत वैज्ञानिक संस्थानों और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के सहयोग से आयुष उत्पादों और सामग्रियों के मानकों के विकास तथा मान्यकरण/प्रमाणन के लिए सहायता।

आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) के तहत घटक-वार संवितरित निधियां इस प्रकार हैं:

एओजीयूएसवाई योजना के घटक	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान (रुपए करोड़ों में)	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान (रुपए करोड़ों में)
उच्च मानक हासिल करने के लिए आयुष फार्मेशियों और दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण और उन्नयन।	0.18 (मिजोरम राज्य सरकार को जारी निधियां)	-
भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी सहित एएसयू एंड एच दवाओं की भेषजसतर्कता।	2.72 (अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली को जारी निधियां)	4.30 (अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली को जारी निधियां)
आयुष दवाओं के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों सहित केंद्रीय और राज्य नियामक ढांचे का सुदृढीकरण।	0.04 (राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बेंगलुरु को जारी निधियां)	-
कुल	2.94	4.30

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान आयुर्वेदिक औषधियों के विनिर्माण के लिए सरकार द्वारा जारी अनुदानों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **संलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख), (ग) और (घ): आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) के अंतर्गत अनुदान के अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा **संलग्नक-II** में दिया गया है। प्राप्त हुए 29 प्रस्तावों में से, 21 प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं और 08 प्रस्तावों पर कार्रवाई की जानी है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदानों के अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रस्तावों, लंबित प्रस्तावों की संख्या और लंबित प्रस्तावों को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है, का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **संलग्नक-III** में दिया गया है।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान आयुर्वेदिक दवाओं के विनिर्माण के लिए जारी अनुदान का विवरण														
1.	उत्तराखंड	<p>राज्य सरकार "सामग्री सम्पूर्ति" मद में कच्चा माल खरीदने हेतु राज्य आयुर्वेदिक फार्मसी ऋषिकुल परिसर, हरिद्वार के लिए बजटीय सहायता प्रदान करती है। जारी और उपयोग किया गया वर्ष-वार अनुदान निम्नानुसार है-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>जारी किया गया अनुदान</th> <th>उपयोग किया गया अनुदान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019-20</td> <td>70 लाख रुपये</td> <td>69.50688 लाख रुपये</td> </tr> <tr> <td>2020-21</td> <td>01 करोड़ रुपये</td> <td>99.970 लाख रुपये</td> </tr> <tr> <td>2021-22</td> <td>01 करोड़ रुपये</td> <td>1.481310 लाख रुपये</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष	जारी किया गया अनुदान	उपयोग किया गया अनुदान	2019-20	70 लाख रुपये	69.50688 लाख रुपये	2020-21	01 करोड़ रुपये	99.970 लाख रुपये	2021-22	01 करोड़ रुपये	1.481310 लाख रुपये		
वर्ष	जारी किया गया अनुदान	उपयोग किया गया अनुदान														
2019-20	70 लाख रुपये	69.50688 लाख रुपये														
2020-21	01 करोड़ रुपये	99.970 लाख रुपये														
2021-22	01 करोड़ रुपये	1.481310 लाख रुपये														
2.	अरुणाचल प्रदेश	<p>राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत सरकारी आयुर्वेदिक फार्मसी को जारी अनुदान का विवरण निम्नानुसार है -</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>जारी किया गया अनुदान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019-20</td> <td>25.96 लाख रुपये</td> </tr> <tr> <td>2020-21</td> <td>45.21 लाख रुपये</td> </tr> <tr> <td>2021-22</td> <td>शून्य</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष	जारी किया गया अनुदान	2019-20	25.96 लाख रुपये	2020-21	45.21 लाख रुपये	2021-22	शून्य						
वर्ष	जारी किया गया अनुदान															
2019-20	25.96 लाख रुपये															
2020-21	45.21 लाख रुपये															
2021-22	शून्य															
3.	ओडिशा	<table border="1"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>विनिर्माण इकाई</th> <th>जारी किया गया कुल अनुदान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">2019-20</td> <td>सरकारी आयुर्वेदिक फार्मसी, बलांगीर</td> <td>30 लाख रुपये</td> </tr> <tr> <td>सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल, भुवनेश्वर</td> <td>22 लाख रुपये</td> </tr> <tr> <td>2020-21</td> <td>शून्य</td> <td>शून्य</td> </tr> <tr> <td>2021-22</td> <td>शून्य</td> <td>शून्य</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष	विनिर्माण इकाई	जारी किया गया कुल अनुदान	2019-20	सरकारी आयुर्वेदिक फार्मसी, बलांगीर	30 लाख रुपये	सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल, भुवनेश्वर	22 लाख रुपये	2020-21	शून्य	शून्य	2021-22	शून्य	शून्य
वर्ष	विनिर्माण इकाई	जारी किया गया कुल अनुदान														
2019-20	सरकारी आयुर्वेदिक फार्मसी, बलांगीर	30 लाख रुपये														
	सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल, भुवनेश्वर	22 लाख रुपये														
2020-21	शून्य	शून्य														
2021-22	शून्य	शून्य														
4.	केरल	शून्य														
5.	गुजरात	शून्य														
6.	कर्नाटक	शून्य														
7.	मणिपुर	शून्य														
8.	असम	शून्य														
9.	मिजोरम	शून्य														
10.	अंडमान और निकोबार	शून्य														
11.	आंध्र प्रदेश	शून्य														
12.	झारखंड	शून्य														
13.	दिल्ली	शून्य														
14.	महाराष्ट्र	शून्य														
15.	जम्मू और कश्मीर	शून्य														
16.	पुडुचेरी	शून्य														
17.	पंजाब	शून्य														

क्र.सं.	प्राप्त प्रस्ताव
1.	पुणे स्थित अपनी फार्मसी इंदुकेयर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के उन्नयन के लिए अनुदान सहायता
2.	पुणे स्थित अपनी दवा परीक्षण प्रयोगशाला इंदुकेयर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के उन्नयन के लिए अनुदान सहायता
3.	महाराष्ट्र स्थित अपनी फार्मसी अयुरकेम प्राइवेट लिमिटेड के उन्नयन के लिए अनुदान सहायता
4.	महाराष्ट्र स्थित अपनी फार्मसी फाइटोवैदिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के उन्नयन के लिए अनुदान सहायता
5.	पश्चिम बंगाल स्थित अपनी फार्मसी बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, प्राइवेट लिमिटेड के उन्नयन के लिए अनुदान सहायता
6.	विशेष आयुर्वेदिक प्राइवेट लिमिटेड फार्मसी, केरल को अपनी फार्मसी के उन्नयन के लिए अनुदान सहायता
7.	अमर फार्मास्युटिकल्स एंड लैब्स (आई) प्राइवेट लिमिटेड यू.पी.(यूनानी) को अपनी फार्मसी के उन्नयन के लिए अनुदान सहायता
8.	अमर फार्मास्युटिकल्स एंड लैब्स (आई) प्राइवेट लिमिटेड यू.पी.(यूनानी) को अपनी डीटीएल के उन्नयन के लिए अनुदान सहायता
9.	मौजूदा राज्य, डीटीएल हिमाचल प्रदेश, जोगिंदर नगर, जिला मंडी के उन्नयन के लिए अनुदान सहायता
10.	मौजूदा राज्य एसयू एंड एच कोऑपरेटिव फार्मसी, कोल्लम केरल के उन्नयन के लिए अनुदान सहायता
11.	मौजूदा राज्य डीटीएल, सिक्किम के उन्नयन के लिए अनुदान सहायता
12.	अपने मौजूदा राज्य डीटीएल, पश्चिम त्रिपुरा के उन्नयन के लिए अनुदान सहायता
13.	एसयू एंड एच दवा नियंत्रण ढांचा, त्रिपुरा के सुदृढीकरण के लिए अनुदान सहायता
14.	अपनी मौजूदा राज्य दवा परीक्षण प्रयोगशाला, मणिपुर के उन्नयन के लिए अनुदान सहायता
15.	अपनी मौजूदा राज्य फार्मसी, मणिपुर के उन्नयन के लिए अनुदान सहायता
16.	एसयू एंड एच दवा नियंत्रण ढांचा, मणिपुर के सुदृढीकरण के लिए अनुदान सहायता
17.	मौजूदा राज्य, फार्मसी, अरुणाचल प्रदेश के उन्नयन के लिए अनुदान सहायता
18.	अपनी मौजूदा राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, अरुणाचल प्रदेश के उन्नयन के लिए अनुदान सहायता
19.	एसयू एंड एच दवा नियंत्रण ढांचा, अरुणाचल प्रदेश के सुदृढीकरण के लिए सहायता अनुदान
20.	राजकीय आयुर्वेद फार्मसी- राजपिपला, गुजरात
21.	एक्यूरे बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड, पुणे
22.	पंजकाज कस्तूरी हर्बल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पूवाचल, तिरुवनंतपुरम
23.	राजीव गांधी राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल, पपरोला, जिला कांगड़ा
24.	राजकीय आयुर्वेदिक फार्मसी, जोगिंदर नगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश के सुदृढीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रस्ताव
25.	पुडुचेरी सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग की नई समर्पित आयुष परीक्षण प्रयोगशाला का प्रस्ताव
26.	एसीएन हेल्थकेयर, यूनानी दवा विनिर्माण फर्म, अलीगढ़, यूपी का प्रस्ताव
27.	गुवाहाटी में मौजूदा राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला (आयुष) को क्षेत्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला (आयुष) में उन्नयन हेतु अनुदान सहायता
28.	जम्मू और कश्मीर में मौजूदा राज्य फार्मसी और राज्य दवा परीक्षण प्रयोगशाला के उन्नयन के लिए अनुदान सहायता
29.	राज्य सरकार के एसयू एंड एच फार्मसियों, मध्य प्रदेश के लिए अनुदान सहायता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदानों के अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा			ऐसे लंबित प्रस्तावों की संख्या	जिस समय तक लंबित प्रस्तावों को मंजूरी दी जाने की संभावना है
		2019-20	2020-21	2021-2022		
1.	उत्तराखंड	02 करोड़ रुपये	02.50 करोड़ रुपये	02.50 करोड़ रुपये	कोई नहीं	लागू नहीं
2.	अरुणाचल प्रदेश	131.11 लाख रुपये	143.21 लाख रुपये	41.53 लाख रुपये	-	-
3.	ओडिशा	सरकारी आयुर्वेदिक फार्मसी, बालगीर के लिए 30 लाख रुपये और कच्चे माल की खरीद के लिए सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल, बीबीएसआर के लिए 22 लाख रुपये	शून्य	शून्य	-	-
4.	केरल	01			01	-
5.	जम्मू और कश्मीर	एओजीयूसवाई योजना के तहत जम्मू में औषधि परीक्षण प्रयोगशाला और आयुष औषधि फार्मसी के संचालन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।				
6.	कर्नाटक	शून्य				
7.	गुजरात	शून्य				
8.	मणिपुर	शून्य				
9.	असम	शून्य				
10.	मिजोरम	शून्य				
11.	अंडमान और निकोबार	शून्य				
12.	आंध्र प्रदेश	शून्य				
13.	झारखंड	शून्य				
14.	दिल्ली	शून्य				

15.	महाराष्ट्र	शून्य
16.	पुडुचेरी	शून्य
17.	पंजाब	शून्य